



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042025-262332
CG-DL-E-07042025-262332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1607]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 2025/चैत्र 17, 1947

No. 1607]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 2025/CHAITRA 17, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2025

का.आ. 1638(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पैन: AAALG0872G) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित) पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1995 (पंजाब अधिनियम सं. 1995 की 11) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के साथ पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1995 (पंजाब अधिनियम सं. 1995 की 11) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 28/2025/फा. सं. 300195/3/2024-आईटीए-1]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव